

भारत के अधिकारण राजपत्र के भाग I खण्ड I में प्रकाशनार्थी

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
चय्य विभाग

नई दिल्ली दिनांक 24 अक्टूबर, 1996  
2, कार्तिक 1918 ईशाक १२

संकल्प

सं ५॥१२॥/संस्था-११।/१३, सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक ९ अप्रैल १९९४ के समर्त्यक संकल्प में यथा निहित, पांचदे केन्द्रीय वेतन आयोग के विधारार्थ विषयों के पैरा २ (खेड़ ४।।।।।) की पंचित में निम्न प्रकार से निर्धारित संशोधन किया जाए;

विजूदा विषय

संशोधित विषय

पैरा २ खेड़ ४।।।।।

पैरा २ खेड़ ४।।।।।

संघ राज्य बेंक के कार्मिक, और

अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के अलावा संघ राज्य के कार्मिक, और

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

पांचदे

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दो जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की स्क-स्क प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य बेंक के प्रशासकों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दो जाए।

द्वि. रामनारायण

द्वि. सी. रामचन्द्रन  
संविद, भारत सरकार